न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीना, R.A.S न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 08 / 2024

सरकार जरिये भानू प्रताप सिंह गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. दीन दयाल उपाध्याय पुत्र श्री राम कवल उपाध्याय एफबीओ एण्ड मैनेजर, M/S वृतिका हर्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड, 33, रतन औद्योगिक क्षेत्र, हरसुलिया, फागी, जयपुर। कार्यालयः– 45, कटेवा नगर, गुर्जर की थड़ी, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर–302019, हाल निवासः–33, रतन औद्योगिक क्षेत्र, हरसुलिया, फागी, जयपुर। स्थाई निवासः–103, ओनबिलाई, नोक्ता, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश।
2. तारा प्रकाश तिवारी, निदेशक, M/S वृत्तिका हर्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड, 33, रतन इंडस्ट्रियल एरिया, हरसूलिया, फागी, जयपुर। कार्यालय–45, कटेवा नगर, गुर्जर की थड़ी, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर।
3. अनामिका तिवारी, निदेशक, M/S वृत्तिका हर्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड, 33, रतन इंडस्ट्रियल एरिया, हरसूलिया, फागी, जयपुर। कार्यालय–45, कटेवा नगर, गुर्जर की थड़ी, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर–302019
4. M/S वृतिका हर्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड, 33, रतन औद्योगिक क्षेत्र, हरसुलिया, फागी, जयपुर। कार्यालयः–45, कटेवा नगर, गुर्जर की थड़ी, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(जुर्म अन्तर्गत धारा 52, की धारा 26 2 (II) / खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011)

उपस्थितिः–

1. विभागीय प्रतिनिधि ।
2. अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 असालतन / वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय **दिनांक : 30.04.2026**

प्रार्थी श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ, जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 10.01.2022 को सांय 2:30 बजे मैसर्स– वृतिका हर्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड, 33, रतन औद्योगिक क्षेत्र, हरसुलिया, फागी, जयपुर पर पहुंचा। वहां पर श्री दीनदयाल उपाध्याय पुत्र श्री रामकवल उपाध्याय उपस्थित मिले। जिन्होने स्वय को खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर होना बताया। मैसर्स–वर्तिका हर्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड, 33, रतन औद्योगिक क्षेत्र, हरसुलिया, फागी, जयपुर इकाई का

निरीक्षण करने पर मौके से जरिये क्रय लिऐ गऐ नमूनों की जॉच रिपोर्ट खाद्य विशलेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सख्या एल.एस. / 206 / एक्ट / 2022 / 331 दिनाक 08 / 02 / 2022 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं मेनेजर द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Herbal Wellness Tea (Nutraceuticals) Dr- Nature Brand का नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया जो के F.S.S.A. 2006 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) (As "A Statement that the health supplement is not be used as a substitute for a varied diet" not given on the label of sample. Contravention of Regulation No- 6(iii)(f) of Food Safety and Standards (Health Supplements) Neutraceuticals, Food for Special Dietary use, Food for Special Medical Purpose, Functional Foods and Novel Foods) Regulations 2016-) धारा 26(2) (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 नियम 2011 की धारा 52 में निधारित है। अतः अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक हाजिर आये परन्तु जवाब हेतु और बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी न तो जवाब प्रस्तुत किया गया और न ही बहस की गई । वरवक्त बहस अप्रार्थीगण असालतन / वकालतन अनुपस्थित रहे अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई । विद्वान् विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि प्रार्थी श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर वास्ते निरीक्षण दिनांक 10.01.2022 को सांय 2:30 बजे मैसर्स– वृतिका हर्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड, 33, रतन औद्योगिक क्षेत्र, हरसुलिया, फागी, जयपुर पर पहुंचे जहाँ पर श्री दीनदयाल उपाध्याय पुत्र श्री रामकवल उपाध्याय उपस्थित मिले। जिन्होने स्वयं को खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर होना बताया। मैसर्स–वर्तिका हर्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड, 33, रतन औद्योगिक क्षेत्र, हरसुलिया, फागी, जयपुर का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु Herbal Welness Tea (Dr- Nature) की 80 ग्राम के 12 प्लास्टीक डब्बे रखे थे जिनके सम्बन्ध में अमानक एवं मिध्याछाप का शक होने पर 80 ग्राम के 8 प्लास्टिक डिब्बे Herbal Welness Tea (Dr- Nature) खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर श्री दीन दयाल उपाध्याय को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जॉच खरीदी, जिसकी कीमत श्री दीन दयाल उपाध्या को 08 / – रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एव तस्दीक कर स्वय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म स. 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री दीनदयाल उपाध्याय एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर कर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म 5 ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर श्री दीनदयाल उपाध्याय को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदाशुदा Herbal Welness Tea (Dr- Nature) की 80 ग्राम के 8 प्लास्टिक डब्बो को चार भागों (प्रत्येक भाग में 80 ग्राम के 2 प्लास्टिक डब्बे) पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक एएन–2371 दर्ज किये प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गौलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं एएन–2371 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों के रैपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री दीनदयाल उपाध्याय एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की । दो फॉर्म स 6 की प्रति अलग से एक लिफापों में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं 6 की एक प्रति के आउटर कवर में शील बन्द कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पत्रांक 39 दिनाक 17/02/2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट स. एल.एस. /205/एक्ट/2022/331 दिनाक 08/02/2022 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं मेनेजर द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Herbal Welness Tea (Dr- Nature) का नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। श्री दीनदयाल उपाध्याय एवं अन्य ने खाद्य पदार्थ Herbal Welness Tea (Dr- Nature) मिसब्राडेड का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा 3(1) (zf) (i) As "A Statement that the health supplement is not be used as a substitute for a varied diet" not given on the label of sample. Contravention of Regulation No- 6(iii)(f) of Food Safety and Standards (Health Supplements) Neutraceuticals, Food for Special Dietary use, Food for Special Medical Purpose, Functional Foods and Novel Foods) Regulations 2016-) धारा 26(2) (ii) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएसए एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है अत. अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जायें।

हमने विद्वान् विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया । विद्वान् विभागीय प्रतिनिधि के द्वारा वरवक्त बहस किये गये प्रत्येक कथन के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है वास्ते जॉच लिये गऐ नमूना की जॉच में खाद्य विश्लेषक राजस्थान,केन्द्रीय पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी राज., जयपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक एलएस/205/एक्ट/2022/331 दिनांक 08.02.2022 में नमूना कोड व क्रमांक नं. एएन–2371 को मिस ब्राण्डेड फूड होना बताया है इसके खण्डन में पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। अप्रार्थीगण के असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थीगण मिस ब्राण्डेड फूड के कथन को स्वीकार करते है अतः उक्त विवेचनानुसार प्रकरण में लिऐ गऐ नमूना को मिस ब्राण्डेड फूड होना पाते है जिसके परिणामस्वरूप उक्त कृत्य के लिऐ रूपये 25,000/– अक्षरे रूपया पच्चीस हजार की राशि का जुर्माना आरोपित करते है । अप्रार्थी निर्णय की दिनांक से एक माह की अवधि में आरोपित जुर्माने की राशि जमा करावे अन्यथा इसके पश्चात् नियमानुसार देय ब्याज सहित जुर्माना राशि वसूल की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघराज सिंह मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट(द्वितीय)
जयपुर।